शंकरलाल बनाम कैलाश वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दावा रेवेन्यू - 77/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण मे वकील वादी सम्मन तलबाना पेश करने हेतु अवसर चाहते है। न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। वकील प्रतिवादी संख्या 14 जवाब हेतु अवसर चाहते है। वकील प्रतिवादी को जवाब दावा पेश करने हेतु पूर्व में कई मर्तबा अवसर व अन्तिम अवसर दिये जा चुके है। बावजूद अवसरों के भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 14 की जवाब देही बन्द की जाती है। वास्ते पेश होने सम्मन तलबाना बाबत तलबी शेष प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 13 पत्रावली दिनांक 13.12.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
13.12.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 13 की सम्मन तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील वादी ने न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्तावों पर असहमति व्यक्त करते हुए पक्षकारान् के मध्य हुए राजीनामा दिनांकित 27.09.2024 के अनुसार प्रकरण का निस्तारण बरूए राजीनामा किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने भी प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर असहमति व्यक्त करते हुए राजीनामा अनुसार ही वाद का निस्तारण किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की गई। वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्तावों को अपास्त किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादी पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर बरूए राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर बरूए राजीनामा मय नजरी नक्शा दिनांकित 27.09.2024 को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा दिनांकित 27.09.2024 व इसके सलंग्न कम्प्यूटराईजड नजरी नक्शा को डिक्री का आवश्यक भाग बनाया	

—लगातार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	जाता है। बैंक ऋण/रहन पूर्वानुसार संबधित खातेदारान के हिस्से पर यथावत रहेगा। राजीनामा मय नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)
पीठासीन अधिकारी—श्री अनिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
77 / 2021	2021 / 183	29.06.2021	13.12.2024 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

शंकरलाल पुत्र महादेव उम्र 68 वर्ष, जाति माली, निवासी ढाणी पाट्यावाली तन् ग्राम खन्नीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना

—वादी—

बनाम्

1. कैलाश चन्द्र पुत्र चौथू उम्र— 45 वर्ष
2. बिमला देवी पुत्री चौथू उम्र— 40 वर्ष
3. माली देवी पत्नी चौथू उम्र— 70 वर्ष
4. सीताराम पुत्र प्रभात राम उम्र—55 वर्ष
5. गोविन्दराम पुत्र प्रभात राम उम्र—42 वर्ष

   समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी पाट्यावाली तन् ग्राम खन्नीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

6. राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दकिशोर उम्र— 55 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
7. विजय कुमार पुत्र नाथूराम उम्र— 40 वर्ष, जाति खाती निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
8. अरविन्द कुमार पुत्र नाथूराम उम्र—37 वर्ष, जाति खाती निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

10. सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

11. पटवारी हल्का हांसापुर तहसील श्रीमाधोपुर।

12. प्रबंधक, यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर

13. प्रबंधक, केनरा बैंक, शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

14. सहायक अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड शाखा श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण—

15. बाबूलाल पुत्र हणमान आयु 53 वर्ष

16. नाथी देवी पुत्री हणमान आयु 60 वर्ष

समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी पाट्यावाली तन ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—तरतीबी प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—

श्री कमल कुमार शर्मा, वादी अभिभाषक।

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, श्री रणवीर सिंह एड0 प्रतिवादी सं. 1 से 3

श्री राकेश कुमार जांगिड़, एड0 प्रतिवादी सं. 4 से 8

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 तरतीबी प्रतिवादीगण सं.15 व 16

नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 9 राजकीय पैरोकार

वादपत्र बाबत घोषणा, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात् काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 1000 से 1003, 1023, 979, 981 से 983, 987 से 989, 989/1530, 990, 991/1531, 992 कुल किता 16 कुल रकबा 4.27 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 991, 999 कुल किता 2 कुल रकबा 1.70 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 997 रकबा 0.96 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 998 रकबा 1.69 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम खन्नीपुरा पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/4 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमियों का पुराना खाता एक होकर उक्त भूमियॉ एक कुंए की भूमियॉ रही है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 के मृत्तक पिता प्रभातराम पिता महादेव का हिस्सा 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के मृत्तक पिता/पति स्वर्गीय चौथू पुत्र झूंथा का 1/4 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 15 व 16 के मृत्तक पिता पति हनुमान पुत्र झूंथा का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर उक्त भूमियों के खातेदार काश्तकार रहे है जिन्होनें उक्त भूमियों का बाह्मी बंटवारा वरवक्त द्वितीय सैटलमेंट से पूर्व चारों खातेदारों ने आपस में चाह खसरा नम्बर 1000 व भूमि खसरा नम्बर 997 को शामलाती रखते हुए शेष भूमियों का मौके पर कर लिया व तथा [illegible] मौके पर बंटवारें में अपने हक हिस्से एंव अधिकार में आई भूमियों में आवागमन का रास्ता कायम करते हुए मौके पर उसी समय से हुए बाहमी बंटवारा के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु उक्त भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे शामलाती चली आ रही है। उक्त भूमियों मे 1/4 हिस्से के खातेदार चौथू पुत्र झूंथा व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 ने अपने हक हिस्से एंव अधिकार बाहमी बंटवारे मे आई भूमियों में से भूमियों का अन्तरण दीगर स्ट्रेन्जर परचेजर को सयुंक्त खातेदारी की आड़ में कर दिया जो पश्चातवर्ती केतागण प्रतिवादी नम्बर 6 ता 8 है। चाह खसरा नम्बर 1000 व भूमि खसरा नम्बर 997 को शामलाती रखते हुए शेष भूमि खसरा नम्बरान् का वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 के मृत्तक पिता प्रभातराम पिता महादेव का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के मृत्तक पिता/पति स्वर्गीय चौथू पुत्र झूंथा का 1/4 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 15 व 16 के मृत्तक पिता हनुमान पुत्र झूंथा का 1/4 हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारा होने बाबत वादपत्र में कथन किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपनी उँची पहुँच से मनमानी कार्यवाही करके संयुक्त खातेदारी की आड़ में वादी के हक हिस्से व अधिकार में आई हुई उन्नत एंव विकसित भूमियों को मौके पर दिखाकर दीगर भू माफिया प्रवृत्ति के लोगों को प्लाट काटकर विक्रय करने एंव कब्जा करवाने तथा बिना भू रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने व अजनबी केतागण को विशिष्ठ भू भाग पर अवैध निर्माण कराकर कब्जा कराने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है एंव भूमियों का विधिक विभाजन करवाने के अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 07.06.2021 को प्रतिवादीगण [illegible] बंटवारा करवाये जाने हेतु कहने पर प्रतिवादीगण ने [illegible] वादकारण पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है। वकील वा[illegible]ने कृषि भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1000 से 1003, 1023, 979, 981 से 983, 987 से 989, 989/1530, 990, 991/1531, 992 कुल किता 16 कुल रकबा 4.27 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 991, 999 कुल किता 2 कुल रकबा 1.70 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 997 रकबा 0.96 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 998 रकबा 1.69 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम खन्नीपुरा पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का पक्षकारान् के हिस्से व मौके के कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर पक्षकारान् को अलग-अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग-अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन वादीगण ने अपने वादपत्र में किया है। वकील वादीगण ने पक्षकारान् के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमियों का विधिक विभाजन करवाये जाने हेतु वादपत्र तकास्मा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर पश्चात्वर्ती दावा मुकदमा संख्या 95/2021 व प्रार्थना पत्र टी.आई. मु.नं. 83/2021 उनवानी राजेन्द्र कुमार वगै0 बनाम सीताराम वगै0 व दावा मुकदमा नं. 49/2021 उनवानी कैलाशचन्द्र बनाम गोविन्दराम वगै0 को पूर्ववर्ती दावा मुकदमा नम्बर 77/2021 व प्रार्थना पत्र अस्थाई [illegible] 68/2021 उनवानी शंकरलाल बनाम कैलाशचन्द्र वगै0 [illegible] किये जाने की स्वीकृति दी जाने पर उक्त तीनों वादपत्रों को एक साथ किए जाकर प्रकरणों

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

में प्रारम्भिक डिक्री वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर दिनांक 28.03.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट नजरी नक्शा के मंगवाई गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1362/भू.अ./23 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये जाकर उभय पक्षकारान् की सहमति प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाने पर उभय पक्षकारान् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमत नहीं हुए है। इसके उपरान्त पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से उभय पक्षकारान् ने दिनांक 27.09.2024 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहे गये। वकील प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा बावजूद अवसरों व अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 14 की जवाब देही बन्द की गई। शेष प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 13 की सम्मन तामील असालतन होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् ने न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 27.09.2024 पर आपसी सहमति व्यक्त करते हुए मुताबिक राजीनामा वादपत्र को अन्तिम रूप [illegible] किये जाने हेतु अन्तिम बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। [illegible] पत्रावली का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

किया गया। प्रकरण में उभय पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से वादपत्र में तनकीयात् विवाद्यक बिन्दु कायम नहीं किये जाकर सहमति के आधार पर सीधे ही वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में अन्तिम बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की चार जमाबन्दियॉं, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांकित 27.09.2024 व इसके सलंग्न कम्प्यूटराईजड नजरी नक्शा इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर पक्षकारान् वादग्रस्त भूमियों में सह खातेदार काश्तकार होकर पक्षकारान् ने अपनी सहुलियत व मौके के कब्जा काश्त अनुसार अपनी सहखातेदारी की भूमियों का आपसी सहमति से विभाजन कर अपने–अपने हक हिस्से व अधिकार में मौके पर आई हुई भूमियों पर अलग–अलग काबिज काश्त चले आने व मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार वाद के सभी पक्षकारान् ने राजीनामा न्यायालय हाजा में स्वंय उपस्थित होकर दिनांक 27.0[illegible] को पेश किया गया। जो न्यायालय द्वारा राजीनामा पक्षकारान् को [illegible] व उनके द्वारा सही होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

स्वीकार किये जाने पर राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया तथा राजीनामा में पक्षकारान् द्वारा पूर्व में जो प्रारम्भिक डिक्री पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जो विभाजन प्रस्ताव आया है उसको आपसी सहमति से निरस्त चाहते हुए मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण राजीनामा अनुसार चाहा जाना प्रकट होता है। प्रकरण में उभय पक्षकारान् ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्तावों पर असहमति होने के कारण विभाजन प्रस्ताव को अपास्त किया जाता है तथा पक्षकारान् द्वारा प्रकरण में लोक अदालत की भावना से समस्त विवादों का निस्तारण करते हुए मौके पर भूमियों का पूर्व से किये गये विभाजन के अनुसार आपसी सहमति से राजीनामा मय संलग्न नजरी नक्शा दिनांकित 27.09.2024 को न्यायालय में पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने से पक्षकारान् को राजीनामा अनुसार ही प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार [illegible] वरूए राजीनामा मय नजरी नक्शा दिनांकित 27.09.2024 को अन्तिम रूप से डिकी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जाता है तथा राजीनामा दिनांकित 27.09.2024 व इसके संलग्न कम्प्यूटराईजड नजरी नक्शा को डिकी का आवश्यक भाग बनाया जाता है। बैंक ऋण/रहन पूर्वानुसार संबधित खातेदारान् के हिस्से पर यथावत रहेगा। राजीनामा मय नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। तद्नुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested